# सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## मांग संख्या 91

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | राजस्व | 5115.14 | 97.79 | 5212.93 | 5703.00 | 47.74 | 5750.74 | 4738.00 | 52.05 | 4790.05 | 6004.76 | 57.82 | 6062.58 |
| | ***पूंजी*** | ***302.55*** | ... | *302.55* | *462.00* | ... | *462.00* | *662.00* | ... | *662.00* | *462.24* | ... | *462.24* |
| | **जोड़** | **5417.69** | **97.79** | **5515.48** | **6165.00** | **47.74** | **6212.74** | **5400.00** | **52.05** | **5452.05** | **6467.00** | **57.82** | **6524.82** |
| 1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं | 2251 | 2.98 | 27.91 | 30.89 | 4.00 | 25.38 | 29.38 | 4.00 | 27.40 | 31.40 | 4.00 | 28.71 | 32.71 |
| 2. विवेकाधीन अनुदान | 2013 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.04 | 0.04 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.04 | 0.04 |
| **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| **अनुसूचित जातियों का कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. अनुसूचित जातियों के उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 2225 | 0.47 | ... | 0.47 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | 3601 | 789.78 | ... | 789.78 | 1036.80 | ... | 1036.80 | 684.00 | ... | 684.00 | 1086.74 | ... | 1086.74 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | *जोड़* | *790.25* | ... | *790.25* | *1038.80* | ... | *1038.80* | *686.00* | ... | *686.00* | *1090.74* | ... | *1090.74* |
| 4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना | 2225 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 3.00 | ... | 3.00 | ... | ... | ... |
| | 3601 | 2153.00 | ... | 2153.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *2153.00* | ... | *2153.00* | *1.00* | ... | *1.00* | *3.00* | ... | *3.00* | ... | ... | ... |
| 5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र | 2225 | 0.68 | ... | 0.68 | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 3601 | 125.75 | ... | 125.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | 1.25 | ... | 1.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *127.68* | ... | *127.68* | *1.00* | ... | *1.00* | ... | ... | ... | *1.00* | ... | *1.00* |
| 6. बालिका छात्रावास | 2225 | 17.23 | ... | 17.23 | 6.00 | ... | 6.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 6.00 | ... | 6.00 |
| | 3601 | 23.29 | ... | 23.29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *41.52* | ... | *41.52* | *6.00* | ... | *6.00* | *10.00* | ... | *10.00* | *6.00* | ... | *6.00* |
| 7. लड़कों के लिए छात्रावास | 2225 | 5.19 | ... | 5.19 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | 3601 | 2.75 | ... | 2.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *7.94* | ... | *7.94* | *5.00* | ... | *5.00* | *5.00* | ... | *5.00* | *5.00* | ... | *5.00* |
| 8. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | 18.43 | ... | 18.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *18.43* | ... | *18.43* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृति | 2225 | 10.52 | ... | 10.52 | 171.00 | ... | 171.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 179.55 | ... | 179.55 |
| | 3601 | 535.38 | ... | 535.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *545.90* | ... | *545.90* | *171.00* | ... | *171.00* | *1.00* | ... | *1.00* | *179.55* | ... | *179.55* |
| 10. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 2225 | 27.10 | ... | 27.10 | 49.00 | ... | 49.00 | 23.22 | ... | 23.22 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 11. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 2225 | 24.50 | ... | 24.50 | 191.00 | ... | 191.00 | 147.00 | ... | 147.00 | 200.55 | ... | 200.55 |
| 12. उच्च स्तरीय शिक्षा | 2225 | 24.52 | ... | 24.52 | 20.58 | ... | 20.58 | 20.58 | ... | 20.58 | 21.00 | ... | 21.00 |
| 13. सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना | 2225 | 35.00 | ... | 35.00 | 439.04 | ... | 439.04 | 47.00 | ... | 47.00 | 460.99 | ... | 460.99 |
| 14. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम | 2225 | 10.70 | 14.95 | 25.65 | 63.25 | 17.10 | 80.35 | 55.05 | 18.57 | 73.62 | 66.00 | 19.77 | 85.77 |
| | 3601 | 4.38 | ... | 4.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *15.08* | *14.95* | *30.03* | *63.25* | *17.10* | *80.35* | *55.05* | *18.57* | *73.62* | *66.00* | *19.77* | *85.77* |
| **जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण** | | **3810.92** | **14.95** | **3825.87** | **1985.67** | **17.10** | **2002.77** | **997.85** | **18.57** | **1016.42** | **2080.83** | **19.77** | **2100.60** |
| **अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 2225 | 0.39 | ... | 0.39 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 3601 | 114.00 | ... | 114.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | 1.46 | ... | 1.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *115.85* | ... | *115.85* | *1.00* | ... | *1.00* | *1.00* | ... | *1.00* | *1.00* | ... | *1.00* |
| 17. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 2225 | 0.09 | ... | 0.09 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... |
| | 3601 | 768.02 | ... | 768.02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | 0.45 | ... | 0.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *768.56* | ... | *768.56* | *1.00* | ... | *1.00* | *1.00* | ... | *1.00* | ... | ... | ... |
| 18. छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास | 2225 | 7.00 | ... | 7.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 21.88 | ... | 21.88 | 10.00 | ... | 10.00 |
| | 3601 | 16.20 | ... | 16.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(करोड़ रुपए)

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | *जोड़* | *23.20* | *...* | *23.20* | *10.00* | *...* | *10.00* | *21.88* | *...* | *21.88* | *10.00* | *...* | *10.00* |
| 19. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति | 2225 | ... | ... | ... | 9.90 | ... | 9.90 | 9.90 | ... | 9.90 | 6.00 | ... | 6.00 |
| 20. अन्य कार्यक्रम | 2225 | 3.00 | 3.12 | 6.12 | 11.28 | 3.55 | 14.83 | 5.28 | 4.10 | 9.38 | 12.00 | 7.00 | 19.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *3.00* | *3.12* | *6.12* | *11.28* | *3.55* | *14.83* | *5.28* | *4.10* | *9.38* | *12.00* | *7.00* | *19.00* |
| **जोड़-अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण** | | **910.61** | **3.12** | **913.73** | **33.18** | **3.55** | **36.73** | **39.06** | **4.10** | **43.16** | **29.00** | **7.00** | **36.00** |
| 21. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम | 2225 | 8.31 | ... | 8.31 | 10.74 | ... | 10.74 | 8.32 | ... | 8.32 | 10.98 | ... | 10.98 |
| | 3601 | 0.34 | ... | 0.34 | 1.00 | ... | 1.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 |
| | *जोड़* | *8.65* | *...* | *8.65* | *11.76* | *...* | *11.76* | *8.82* | *...* | *8.82* | *12.00* | *...* | *12.00* |
| **जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण** | | **4730.18** | **18.07** | **4748.25** | **2030.61** | **20.65** | **2051.26** | **1045.73** | **22.67** | **1068.40** | **2121.83** | **26.77** | **2148.60** |
| **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| **विकलांगों का कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| 22. दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना | 2235 | 63.64 | ... | 63.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त, अस्थि विकलांग संस्थान | 2235 | 87.92 | 46.50 | 134.42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक अंग और उपकरण | 2235 | 95.36 | ... | 95.36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएं | 2235 | 22.90 | ... | 22.90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | 24.81 | ... | 24.81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *47.71* | *...* | *47.71* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| 26. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार योजना | 2235 | 0.53 | ... | 0.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. निशक्तताग्रस्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम | 2235 | 13.77 | 3.40 | 17.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *13.77* | *3.40* | *17.17* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| **जोड़-विकलांगों का कल्याण** | | **308.93** | **49.90** | **358.83** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** |
| **सामाज कल्याण** | | | | | | | | | | | | | |
| 29. द्विपक्षीय करारों के अधीन वस्तु सहायता पर वितरण व्यय | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु सहायता | 2235 | 25.41 | ... | 25.41 | 45.00 | ... | 45.00 | 31.61 | ... | 31.61 | 15.15 | ... | 15.15 |

(करोड़ रुपए)

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| 31. वृद्धाश्रमों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 2235 | 15.54 | ... | 15.54 | 45.00 | ... | 45.00 | 22.50 | ... | 22.50 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 32. निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33. अन्य कार्यक्रम | 2235 | 36.52 | 1.90 | 38.42 | 84.70 | 1.67 | 86.37 | 43.79 | 1.95 | 45.74 | 27.77 | 2.30 | 30.07 |
| **जोड़-सामाज कल्याण** | | **77.47** | **1.90** | **79.37** | **174.70** | **1.67** | **176.37** | **97.90** | **1.95** | **99.85** | **92.92** | **2.30** | **95.22** |
| **जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** | | **386.40** | **51.80** | **438.20** | **174.70** | **1.67** | **176.37** | **97.90** | **1.95** | **99.85** | **92.92** | **2.30** | **95.22** |
| 34. सरकारी उद्यमों में निवेश | 4225 | 270.00 | ... | 270.00 | 443.76 | ... | 443.76 | 643.76 | ... | 643.76 | 444.00 | ... | 444.00 |
| | 4235 | 32.55 | ... | 32.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *302.55* | ... | *302.55* | *443.76* | ... | *443.76* | *643.76* | ... | *643.76* | *444.00* | ... | *444.00* |
| 35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान | 2552 | ... | ... | ... | 63.19 | ... | 63.19 | 34.67 | ... | 34.67 | 53.76 | ... | 53.76 |
| | 4552 | ... | ... | ... | 18.24 | ... | 18.24 | 18.24 | ... | 18.24 | 18.24 | ... | 18.24 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *81.43* | ... | *81.43* | *52.91* | ... | *52.91* | *72.00* | ... | *72.00* |
| **राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना** | | | | | | | | | | | | | |
| 36. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम | 2552 | ... | ... | ... | 30.00 | ... | 30.00 | 37.70 | ... | 37.70 | 32.20 | ... | 32.20 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 1467.00 | ... | 1467.00 | 1847.08 | ... | 1847.08 | 1564.80 | ... | 1564.80 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 | 17.00 | ... | 17.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *1499.00* | ... | *1499.00* | *1901.78* | ... | *1901.78* | *1599.00* | ... | *1599.00* |
| 37. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र | 2552 | ... | ... | ... | 1.80 | ... | 1.80 | 3.00 | ... | 3.00 | 1.80 | ... | 1.80 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 85.95 | ... | 85.95 | 145.20 | ... | 145.20 | 85.95 | ... | 85.95 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.25 | ... | 1.25 | 1.80 | ... | 1.80 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *89.00* | ... | *89.00* | *150.00* | ... | *150.00* | *89.75* | ... | *89.75* |
| 38. बालिका छात्रावास | 2552 | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.10 | ... | 0.10 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 42.90 | ... | 42.90 | 16.01 | ... | 16.01 | 42.90 | ... | 42.90 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *44.00* | ... | *44.00* | *16.51* | ... | *16.51* | *44.00* | ... | *44.00* |
| 39. लड़कों के लिए छात्रावास | 2552 | ... | ... | ... | 0.40 | ... | 0.40 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.40 | ... | 0.40 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 18.60 | ... | 18.60 | 3.95 | ... | 3.95 | 18.60 | ... | 18.60 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *20.00* | ... | *20.00* | *4.15* | ... | *4.15* | *20.00* | ... | *20.00* |
| 40. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु | 2552 | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 |

(करोड़ रुपए)

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | | | | | | | | | | | | | |
| | 3601 | ... | ... | ... | 9.80 | ... | 9.80 | 9.80 | ... | 9.80 | 9.80 | ... | 9.80 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *10.00* | ... | *10.00* | *10.00* | ... | *10.00* | *10.00* | ... | *10.00* |
| 41. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृति | 2552 | ... | ... | ... | 16.68 | ... | 16.68 | 3.00 | ... | 3.00 | 16.68 | ... | 16.68 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 646.32 | ... | 646.32 | 496.00 | ... | 496.00 | 646.32 | ... | 646.32 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *663.00* | ... | *663.00* | *499.00* | ... | *499.00* | *663.00* | ... | *663.00* |
| 42. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 196.00 | ... | 196.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *100.00* | ... | *100.00* | *33.00* | ... | *33.00* | *200.00* | ... | *200.00* |
| 43. अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 22.50 | ... | 22.50 | 22.66 | ... | 22.66 | 22.50 | ... | 22.50 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *23.00* | ... | *23.00* | *23.16* | ... | *23.16* | *23.00* | ... | *23.00* |
| 44. अन्य पिछड़ी जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 2552 | ... | ... | ... | 15.00 | ... | 15.00 | 13.00 | ... | 13.00 | 15.00 | ... | 15.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 133.00 | ... | 133.00 | 101.63 | ... | 101.63 | 133.00 | ... | 133.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *149.00* | ... | *149.00* | *115.63* | ... | *115.63* | *149.00* | ... | *149.00* |
| 45. अन्य पिछड़ी जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 2552 | ... | ... | ... | 78.50 | ... | 78.50 | 85.32 | ... | 85.32 | 88.60 | ... | 88.60 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 704.50 | ... | 704.50 | 702.81 | ... | 702.81 | 794.40 | ... | 794.40 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *784.00* | ... | *784.00* | *789.13* | ... | *789.13* | *885.00* | ... | *885.00* |
| 46. अन्य पिछड़ी जाति के लिए बालक-बालिका छात्रावास | 2552 | ... | ... | ... | 3.50 | ... | 3.50 | 2.74 | ... | 2.74 | 3.50 | ... | 3.50 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 30.50 | ... | 30.50 | 5.60 | ... | 5.60 | 30.50 | ... | 30.50 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *35.00* | ... | *35.00* | *8.34* | ... | *8.34* | *35.00* | ... | *35.00* |
| 47. अन्य पिछड़ी जाति के लिए अन्य कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | ... | 1.45 | ... | 1.45 | 0.60 | ... | 0.60 | 1.45 | ... | 1.45 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 13.05 | ... | 13.05 | 4.40 | ... | 4.40 | 13.05 | ... | 13.05 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *14.50* | ... | *14.50* | *5.00* | ... | *5.00* | *14.50* | ... | *14.50* |

(करोड़ रुपए)

| | | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| **जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना** | | **...** | **...** | **...** | **3430.50** | **...** | **3430.50** | **3555.70** | **...** | **3555.70** | **3732.25** | **...** | **3732.25** |
| 48. वास्तविक वसूलियां | 2225 | -4.42 | ... | -4.42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 2251 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *-4.42* | *...* | *-4.42* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| *कुल जोड़* | | ***5417.69*** | ***97.79*** | ***5515.48*** | ***6165.00*** | ***47.74*** | ***6212.74*** | ***5400.00*** | ***52.05*** | ***5452.05*** | ***6467.00*** | ***57.82*** | ***6524.82*** |
| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
| **ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश** | | | | | | | | | | | | | |
| 34.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी | 22225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34.02 राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त एवं विकास निगम | 22235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34.03 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास निगम | 22225 | ... | ... | ... | 246.72 | ... | 246.72 | 247.76 | ... | 247.76 | 247.76 | ... | 247.76 |
| 34.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. | 22225 | ... | ... | ... | 196.00 | ... | 196.00 | 396.00 | ... | 396.00 | 196.24 | ... | 196.24 |
| **जोड़** | | **...** | **...** | **...** | **442.72** | **...** | **442.72** | **643.76** | **...** | **643.76** | **444.00** | **...** | **444.00** |
| **ग. योजना परिव्यय** | | | | | | | | | | | | | |
| ***केन्द्रीय योजना:*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | 22251 | 2.98 | ... | 2.98 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण | 22225 | 4995.76 | ... | 4995.76 | 2474.37 | ... | 2474.37 | 1689.49 | ... | 1689.49 | 2565.83 | ... | 2565.83 |
| 3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 22235 | 418.95 | ... | 418.95 | 174.70 | ... | 174.70 | 97.90 | ... | 97.90 | 92.92 | ... | 92.92 |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 81.43 | ... | 81.43 | 52.91 | ... | 52.91 | 72.00 | ... | 72.00 |
| **जोड़ - केन्द्रीय योजना** | | **5417.69** | **...** | **5417.69** | **2734.50** | **...** | **2734.50** | **1844.30** | **...** | **1844.30** | **2734.75** | **...** | **2734.75** |
| ***राज्य योजना:*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. अनुसूचित जातियों का कल्याण | 43601 | ... | ... | ... | 2442.75 | ... | 2442.75 | 2618.80 | ... | 2618.80 | 2642.75 | ... | 2642.75 |
| 2. अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण | 43601 | ... | ... | ... | 979.50 | ... | 979.50 | 916.10 | ... | 916.10 | 1079.50 | ... | 1079.50 |
| **जोड़ - राज्य योजना** | | **...** | **...** | **...** | **3422.25** | **...** | **3422.25** | **3534.90** | **...** | **3534.90** | **3722.25** | **...** | **3722.25** |
| ***संघ राज्य क्षेत्र योजना :*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. अनुसूचित जातियों का कल्याण | 43602 | ... | ... | ... | 5.25 | ... | 5.25 | 18.80 | ... | 18.80 | 6.00 | ... | 6.00 |
| 2. अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण | 43602 | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 4.00 | ... | 4.00 |

| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना** | ... | ... | ... | 8.25 | ... | 8.25 | 20.80 | ... | 20.80 | 10.00 | ... | 10.00 |
| **जोड़** | 5417.69 | ... | 5417.69 | 6165.00 | ... | 6165.00 | 5400.00 | ... | 5400.00 | 6467.00 | ... | 6467.00 |

1. **सचिवालय:** इसमें सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** विवेकाधीन अनुदान पात्र संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है।

3. **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता:** इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। उन 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति घटक योजना तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को ऊंची आय वाले सृजनकारी कार्य कलापों में अपनी क्षमता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के अधिक क्षेत्र खोलने, नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के विद्यमान प्रारुप में बल देना रहा है।

4. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

5. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र:** यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरुकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है।

6. **बालिका छात्रावास:** संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद् विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

7. **बालकों के लिए छात्रावास:** अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो मिडिल तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत प्रदान की जाती है।

8. **अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य लक्षित समूहों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमे (i) स्केवेंजर, (ii) स्वीपर, (iii) टेनर्स, (iv) फ्लेयर्स, (v) मेनहोल तथा खुली नालियां साफ करने वाले, तथा (vi) कूड़ा बीनने वाले शामिल हैं।

9. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि प्रारम्भिक से माध्यमिक स्तर में शिक्षा छोड़ने की घटनाओं को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु छात्र को अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयत्नों में लगे सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं के संचालन, सेवा कार्यकलाप जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों और आय सृजक कार्यकलाप जैसा कि विभिन्न वाणिज्यिक कार्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक, सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. **राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एचडी. पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरु की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

12. **मेधावी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों की एक लघु सूची अधिसूचित की गई और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरुरतें पूरी होंगी। वर्ष 2012-13 से माता-पिता की वार्षिक आय सीमा में संशोधन कर इसे 2.00 लाख से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

13. **सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजरों) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना:** इस स्कीम के उद्देश्य शेष स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों का एक समयबद्ध रीति से पुनर्वास करना है। स्कीम के तहत, लाभार्थियों को लाभदायक स्व/मजदूरी रोजगार के लिए ऋण, सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम में नवम्बर, 2013 से संशोधन किया गया है। इसमें मैनुअल स्कैवेंजरों को एक-बारगी 40,000/- रुपये की नकद सहायता का प्रावधान भी किया गया है।

14. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** 12वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए पुनर्संशोधन के अनुसार इस स्कीम (क्र.सं.42) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजन के अंतर्गत आवंटन किया जा रहा है।

15. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान के अंतर्गत अम्बेडकर प्रतिष्ठान, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पर होने वाले स्थापना व्यय को पूरा करने की सहायता परियोजनाएं आती हैं। इस प्रावधान में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का विकास भी शामिल है।

16. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है।

17. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

18. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है।

19. **अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को अनुसूचित जातियों की योजना की तर्ज पर आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

20. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान में स्वैच्छिक सैक्टरों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाना शामिल है ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों की शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जा सके। इस योजना के तहत, अनुमोदित व्यय की 90% राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10% राशि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन की जाती है। इस प्रावधान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, ओबीसी तथा ईबीसी हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हेतु व्यय तथा विमुक्त जन जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना शामिल है।

21. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम:** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना कवर की जाती है। यह योजना अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नौकरी तलाश करने वाले संभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को, परीक्षा से पूर्व विशेष कोचिंग दिलाकर, पूरा करने के लिए बनाई गई है जिससे कि इन श्रेणियों के विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों/केन्द्रों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित केवल वही विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी कुल आय 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है।

22. **दीनदयालय विकलांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

23. **राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

24. **शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

25. **नि शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन की योजनाएं:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

26. **शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार संबंधी योजना:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

27. **विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

28. **विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

29. **द्विपक्षीय करारों के तहत वस्तु सहायता पर संवितरण व्यय:** इस योजना को मांग संख्या 92 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

30. **नशीली दवा दुरुपयोग मद्यपान और निवारण के लिए सहायता:** यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनियों की पहचान करने, उन्हें परामर्श देने और उनका पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत स्वयंसेवी संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम व जम्मू और कश्मीर के मामले में यह कुल स्वीकार्य व्यय का 95 प्रतिशत है।

31. **वृद्धाश्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता:** इस योजना में दिवा परिचर्या केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों की स्थापना आदि के संचालन और रखरखाव के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित की गई है। वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के अलावा, इस योजना में अनेक नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे विश्राम गृह और सतत देख-रेख आवास, वृद्धों के लिए बहु-सेवा केन्द्र चलाना, अल्जाइमर/मनोभ्रंश रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र चलाना, वृद्धों के लिए – फिजियोथेरेपी क्लिनिक और वृद्ध लोगों को विकलांगता संबंधी और श्रवण यंत्र देना, उनके लिए हेल्प-लाइन और परामर्शी केन्द्र इत्यादि।

32. **निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण:** इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33. **अन्य कार्यक्रम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की स्थापना, अनुसंधान अध्ययन एवं प्रकाशन, समाज रक्षा उपलब्ध करवाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने, सूचना एवं जन शिक्षा कक्ष और विभिन्न नई स्कीमों हेतु व्यय के लिए है।

34. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** बजटीय सहायता के माध्यम से इक्विटी संबंधी आंकड़े व्यय बजट (खण्ड I) में दिए गए हैं। यह प्रावधान निम्नोक्त हेतु शेयर पूंजी उपलब्ध करवाने हेतु है :-

i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,

ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम,

iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, और

iv) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड : इस व्यवस्था में अनुसूचित जातियों हेतु उद्यम पूंजी निधि तथा अनुसूचित जातियों हेतु ऋण वृद्ध गारंटी योजना शामिल है।

35. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए है ।

36. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें । इस स्कीम में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए उनकी प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त, स्कीम के कार्यान्वियन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिबद्ध देयता की अवधारणा से छूट प्राप्त है । इस स्कीम को वर्ष 2010-11 में संशोधित किया गया है। संशोधन जो 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :- (1) मौजूदा 1 लाख रुपए की आय सीमा को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाना (2) भरण-पोषण और अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि करना और (3) पाठ्यक्रमों का पुनर्समूहन । पात्रता की शर्त में माता-पिता की वार्षिक आय की उच्चतम सीमा में 01.04.2013 से फिर से संशोधन कर इसे 2.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

37. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वियन के लिए तंत्र:** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वियन के लिए प्रतिबद्ध देयता के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कुल व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है । यह सहायता मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरुकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है ।

38. **बालिका छात्रावास:** राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

39. **बालकों के लिए छात्रावास:** छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राज्यों को 50:50 के आधार पर/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत प्रदान की जाती है ।

40. **अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म-शोधन, कूड़ा बीनना इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है । इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है ।

41. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि प्रारम्भिक से माध्यमिक स्तर में शिक्षा छोड़ने की घटनाओं को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु छात्र को अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

42. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2009-10 में 50 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों को कवर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर की गई थी । इस स्कीम के अंतर्गत, 1000 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का समेकित विकास सभी संगत केन्द्रीय और राज्य स्कीमों को प्रमुखत: एक साथ मिलाकर कार्यान्वियन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है । चिन्हित गांवों की अधिकतम आवश्यकताएं मिलाकर कार्यान्वियन से पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए 20 लाख रुपए राशि प्रति गांव, राज्य सरकार के सम्भावित समान अंशदान के साथ इस स्कीम के तहत अन्तर-पूर्ति केन्द्रीय सहायता के रुप में प्रदान की जाती है। 9 अतिरिक्त राज्यों में 1500 अतिरिक्त गाँवों को कवर करने के लिए इस योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है।

43. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम आते हैं।

44. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है । इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

45. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों के साथ 1.7.2011 से संशोधित कर दी गई है अर्थात् :-

1) पात्रता के लिए मौजूदा पैतृक आय सीमा को 44,500 रुपए से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

2) अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों के भरण-पोषण और अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी।

3) पाठ्यक्रमों का पांच समूहों से चार समूहों में पुन:समूहन जैसाकि पीएमएस-एससी की योजना में किया गया है।

46. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इस योजना में 2014-15 में संशोधन किया है तथा संशोधित योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट लागत का इस प्रकार संशोधन किया गया है : (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र – 3.50 लाख रुपए, (ii) हिमालय क्षेत्र – 3.25 लाख रुपए, (iii) आरओसी क्षेत्र – 3.00 लाख रुपए। संशोधित योजना के तहत लड़कों के छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 60% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जबकि बालिका छात्रावासों के मामले में यह 90% है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के मामले में, 90% केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है तथा विश्वविद्यालयों के लिए यह 100% है। प्रावइवेट विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों के मामले में, 45% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

47. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम:** यह प्रावधान विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों का शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास की योजनाओं को कवर करता है।

48. यह आबंटन अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के वर्गों के लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे उन व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, सिविल राइट अधिनियम का संरक्षण एवं राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को अनुसूचित जाति विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

यह योजना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लड़के और लड़कियों के छात्रावास हेतु, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति एवं डीएनटी के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु योजना को अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनअधिसूचित घुमंतुओं के विकास हेतु योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।